>

Title: Need to grant Tribal status to the residents of Gir (West) Forest Area and to all their descendants -Laid.

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : गुजरात राज्य में गिर पश्चिम वन क्षेत्र वÂाऩ 1960 से लेकर 1965 तक फॉरेस्ट सेटलमेंअ कमिश्नर के द्वारा तीन वार्ड ए, बी, सी, से बना हुआ है। इस वन क्षेत्र में वÂाऩ 1956 से पहले रहने वाले वनवासी और जो अब इस क्षेत्र में नहीं रहते है, उन सभी वनवासियों को आदि जाति का माना जाता है उन्हें तथा उनको वारिसों को आदि जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिए रेंज फॉरेस्ट आफिसर से प्रमाण लेकर तालुका तहसीलदार से आदि जाति का प्रमाण पत्र लेना होता है।

समस्या यह है कि वर्ष 1956 से पहले वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार के केवल एक ही सदस्य को उनका वारिस माना जाता है और परिवार के अन्य सदस्य को वारिस नहीं माना जाता है। रेंज फॉरेस्ट आफिसर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं देते हैं जिससे उन्हें आदि जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे वनवासी और उनके वारिस जो एक या एक से अधिक हों सभी को उनका वारिस होने का हक मिलना ही चाहिए। इस विषय से संबंधित मंत्रालय एवं विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएं।